बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना में उच्च वर्गीय लिपिक/लेखा–सह–रोकड़पाल के रिक्त पद पर सेवानिवृत्त कर्मी के संविदा आधारित नियोजन हेतु रिक्ति की सूचना :–

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा "उच्च वर्गीय लिपिक" के 02 रिक्त पद एवं "लेखा–सह–रोकड़पाल" के 01 रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु "बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012" एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या – 10000 दिनांकः– 10.07.2015 एवं पत्रांक 3815 दिनांक 11.03.2016 में निहित प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन स्वीकार किये जायेगे। इस पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं परिलब्धियाँ निम्नवत् होंगीः–

क्र०	पद का नाम	पद की संख्या	आरक्षण रोस्टर	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव	उम्र	परिलब्धियाँ
01.	उच्च वर्गीय लिपिक	02	अनारक्षित–01 अ०पि०व०–01	राज्य/केंद्र सरकार में उच्च वर्गीय लिपिक अथवा समकक्ष कोटि से सेवानिवृत	62 वर्ष (अधिकत्तम)	सरकारी प्रावधानानुसार
02.	लेखा–सह–रोकड़पाल	01	अ०पि०व०–01	बिहार सचिवालय सेवा या समकक्ष पद से सेवानिवृत कर्मी/पदाधिकारी अथवा महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत कर्मी/पदाधिकारी, जिन्हें लेखा कार्यो क पर्याप्त अनुभव हो। वाणिज्य स्नातक कर्मी को अधिमानता दी जाएगी।		

02.विहित प्रपत्र में हस्तलिखित अथवा टंकित, आवेदन पत्र के साथ–साथ दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, पी0पी0ओ0, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन के साथ प्रेषित करेंगे। साक्षात्कार के समय इनकी मूल प्रतियाँ भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

03.नियोजन से संबंधित विस्तृत सूचना/शर्तें एवं आवेदन प्रपत्र प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org पर अवलोकन/डाउनलोड की जा सकती है।

04.आवेदन दिनांक 22.05.2023 के 05:00 बजे अप० तक स्वीकार किये जायेंगे।

05.आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही देय होगा।

(मीनेन्द्र कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

उच्च वर्गीय लिपिक / लेखा–सह–रोकड़पाल के पद पर सेवानिवृत्त कर्मियों के संविदा आधारित नियोजन की सूचना / शर्तें

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अन्तर्गत ''उच्च वर्गीय लिपिक'' के 02 रिक्त पद एवं ''लेखा–सह–रोकड़पाल'' के 01 रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेत ''बिहार राज्य आपदा प्रबंधन (कृत्य एवं प्रबंधन) नियमावली, 2012'' एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10000 दिनांक 10.07.2015 एवं पत्रांक – 3815 दिनांक 11.03.2016 में निहित प्रावधानों के तहत यह नियोजन किया जा रहा हैः–

01.उक्त पद पर संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में 03 (तीन) वर्षो अथवा प्रतिनियुक्ति होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा । संविदा पर नियोजन की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष होगी। तीन वर्षो (अथवा कम) की समाप्ति के पश्चात आवश्यकतानुसार एक–एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरांत अधिकतम 65 वर्षो की आयु तक के लिए किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में 67 वर्ष तक सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

02.नियोजित कर्मी द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। नियोजन अवधि का विस्तार नहीं होने की स्थिति में नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

03.सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000 दिनांक 10.07.2015 के आलोक में मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

04.उच्च वर्गीय लिपिक के पद के लिए कम्प्यूटर टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी एवं लेखा–सह–रोकड़पाल के पद के लिए कम्प्यूटर टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता प्राप्त / विपत्र / कोषागार कार्य / लेखा कार्य अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।

05.संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

06.आरक्षण कोटि के विरूद्ध आवेदन करने वाले को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

07.आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि
(क) उनके विरूद्ध निगरानी का कोई मामला नहीं चल रहा है।
(ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
(ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।
(घ) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप / आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

08.नियोजन के समय स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सहमुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

09.चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर चयनित कर्मियों को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा नियोजित एवं पदस्थापित किया जायेगा।

10.प्राप्त आवेदन के आधार पर नियोजन की कार्रवाई के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक– 3815 दिनांक 11.03.2016 में निर्धारित मापदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

11.संविदा पर नियोजित किये जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मी की कुल संख्या / कोटिवार संख्या में परिवर्तन (कम / अधिक) करने की शक्ति प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगी।

12.मानेदयः–नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय प्रावधानानुसार उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी, वही होगी, जो कि उनके संविदा अवधि तक स्थिर रहेगी ।

13.लेखा / नजारत / विपत्र एवं कोषागार कार्यो का कम से कम पाँच वर्षो के अनुभव वाले आवेदकों एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकों को अधिमानता दी जा सकेगी।

14.इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मी प्राधिकरण के द्वारा बेवसाइट पर अपलोड आवेदन पत्र में अपना पूर्ण विवरणी हस्तलिखित / टंकित रूप में भर कर आवश्यक अभिलेखों एवं फोटोग्राफ के साथ रिक्ति घोषणा के समय उपस्थापित करेंगे। आवेदन प्रपत्र सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001 को संबोधित किया जायेगा।

सचिव
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना।

उच्च वर्गीय लिपिक / लेखा–सह–रोकड़पाल के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र।

अद्यतन स्व–अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें।

01.	आवेदित पद का नामः–	
02.	आवेदक का नाम :– (मोबाईल नं० सहित)	
03.	अभ्यर्थी के पिता / पति का नामः–	
04.	जन्म तिथिः– (प्रमाण पत्र संलग्न करे।)	
05.	पत्राचार का पताः–	
06.	स्थायी पताः–	
07.	आरक्षण कोटिः–	
08.	विभाग / कार्यालय का नाम, जहाँ से सेवानिवृत हुए हैः–	
09.	सेवा में नियुक्ति तिथिः–	
10.	सेवानिवृत्ति की तिथिः– (PPO संलग्न करें)	
11.	विभागों में अलग–अलग कार्यानुभव एवं उसकी अवधि :–	
12.	अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक वाद / निगरानी वाद / विभागीय कार्यवाही लंबित है या नहीं ?	

तिथिः–...

स्थानः–... आवेदक का हस्ताक्षर